न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के समक्ष

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य- *प्रतिवादी*

2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 18126

दिसंबर 21, 2012

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट क्षेत्राधिकार - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - न्यायिक समीक्षा - अधिकार क्षेत्र की अधिकता - प्रॉक्सी मुकदमेबाजी - मांगी गई जानकारी आवेदक- प्रतिवादी नंबर 2 को दी गई लेकिन उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की, जिसने प्रतिवादी नंबर 3 के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया, जो आयोग के समक्ष नहीं था। आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा की - आयोग के आदेश को रद्द किया गया - रिट याचिका की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया जाता है कि निर्विवाद तथ्य यह है कि जीवन दास बोर्ड के कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ते के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। सूचना उन्हें विधिवत प्रदान की गई थी, हालांकि, अभी भी असंतुष्ट होकर उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जहां फिर से उन्हें जानकारी प्रदान की गई। फिर भी असंतुष्ट, उन्होंने आयोग के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। जब 17.07.2012

को आयोग के समक्ष अपील की गई, तो जीवन दास स्वयं उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उनकी ओर से जोगिन्दर सिंह उपस्थित हुए। आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने आयोग के समक्ष अपना मामला इस तरह रखा जैसे कि उन्होंने अपील या याचिका को प्राथमिकता दी हो। आयोग ने जीवन दास के मामले को अलग रखते हुए, जो इसके समक्ष अपीलकर्ता थे, जोगिंदर सिंह की सहजता के तथ्यों का उल्लेख किया और उन्हें राहत के लिए भिवानी में बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता को आवेदन करने की सलाह दी और इसे छह सप्ताह के भीतर जोगिंदर सिंह को संसाधित करने और देय भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

(पैरा 6)

अभिनिर्धारित किया गया, कि आयोग एक क़ानून का निर्माण है। इसे कानून के चार कोनों के भीतर काम करना है, जिसके तहत इसे बनाया गया है। इसके द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए परिभाषित कुछ कर्तव्य हैं, अर्थात्, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की जाती है और गैर-अनुपालन में आसानी से, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में, हालांकि अपील जीवन दास द्वारा पसंद की गई थी, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से भी व्यथित नहीं थे क्योंकि अपेक्षित जानकारी उन्हें प्रदान की गई थी, क्योंकि यह एक तरह का प्रॉक्सी मुकदमा था, जोगिंदर सिंह उनकी ओर से पेश हुए, जिन्होंने कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर बोर्ड के साथ काम किया था। मकान किराया भत्ते के दावे को लेकर आयोग की ओर से दलील दी गई। ऐसा करते समय, आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का दौरा किया है, पहला, मुद्दा इसके समक्ष अपील में विवाद का विषय नहीं था और दूसरा, जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, वे संभवत अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं दिए जा सकते थे। याचिकाकर्ता बोर्ड यह तर्क देने में गलत नहीं है कि जीवन दास वास्तव में जोगिंदर सिंह के लिए प्रॉक्सी मुकदमेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पहले इसी राहत के लिए इस अदालत में एक रिट याचिका दायर की थी। इस न्यायालय के एक निर्देश पर, उनके अभ्यावेदन का निर्णय लिया गया और मकान किराया भत्ते के बारे में राहत उन्हें अस्वीकार कर दी गई, लेकिन फिर भी इस तथ्य को छिपाते हुए, उन्होंने आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, हालांकि आयोग के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया गया कि ऊपर वर्णित कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। चूंकि जीवन दास की इस मामले में रुचि नहीं है, इसलिए मामले को आयोग को वापस भेजना निरर्थक होगा।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता के वकील राजेश कटोच और वकील तजेंद्र के. जोशी

दिनेश अरोड़ा, प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के वकील

राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संक्षेप में, 'बोर्ड') ने केंद्रीय सूचना आयोग (संक्षेप में, 'आयोग') द्वारा पारित दिनांक 17.7.2012 के आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत से संपर्क किया है, जिसके तहत जीवन दास (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा दायर अपील में, जोगिंदर सिंह (प्रतिवादी नंबर 3) को कुछ लाभ देने का निर्देश दिया गया है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 2- जीवन दास ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के लिए आवेदन किया था, जिसे 7.6.2011 को जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ते के बारे में था। दिनांक 2.8.2011 के संचार के माध्यम से, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई थी। आपूर्ति की गई जानकारी से असंतुष्ट, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी सूचना पुन उपलब्ध कराई गई। याचिकाकर्ता-बोर्ड का रुख यह है कि प्रतिवादी नंबर 3, अर्थात् जोगिंदर सिंह, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के सिंचाई विभाग में उप अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने भी इसी तरह की जानकारी मांगी थी। उन्होंने 26.8.2009 से 29.2.2012 तक प्रतिनियुक्ति पर बोर्ड की सेवा की थी। मकान किराया भत्ता प्रतिवादी नंबर 3 को इस कारण से स्वीकार्य नहीं था कि प्रतिवादी नंबर 3 की पोस्टिंग के स्थान पर सरकारी आवास उपलब्ध था, जिस पर वह कब्जा करने में विफल रहा। प्रतिवादी नंबर 3 को उसके मूल विभाग में वापस भेजे जाने के बाद, उसने इस अदालत में 2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4436 दायर की, जिसमें बोर्ड को वेतन और मकान किराया भत्ते के पुनर्निर्धारण के लिए उसके दावे पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई। उनके अभ्यावेदन के निपटान के निदेश के साथ दिनांक 12032012 को इसका निपटान किया गया था, जिसे दिनांक 08062012 को निपटा दिया गया था। जीवन दास के पास सूचना के लिए आवेदन करने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि अधिनियम के तहत मांगा गया था। यह प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से एक तरह का प्रॉक्सी मुकदमा था। जीवन दास को पूरी जानकारी देने के बावजूद, उन्होंने अभी भी आयोग के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। निर्धारित तिथि अर्थात् 17.7.2012 को जीवन दास स्वयं उपस्थित नहीं हुए लेकिन जोगिन्दर सिंह उसी दिन उनकी ओर से उपस्थित हुए और आयोग द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें निर्देश दिया गया कि जोगिंदर सिंह मकान किराया भत्ते के बारे में अपना आवेदन दायर करेंगे, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और छह सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा। यह पूर्वोक्त आदेश है, जिसे इस अदालत के समक्ष लागू किया गया है।

(3) बोर्ड के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से परे है। आयोग ने स्वयं को इस तरीके से संचालित किया है मानो वह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हो। आयोग के समक्ष मुद्दा, जिसे लिया जा सकता था और तय किया जा सकता था कि जीवन दास द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की गई थी या नहीं, लेकिन फिर भी घर किराया भत्ता के अनुदान के लिए जोगिंदर सिंह के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए एक निर्देश दिया गया था। उसी राहत के लिए, उन्होंने इस अदालत में एक रिट याचिका भी दायर की थी, जिसका निपटारा कर दिया गया था। इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने दावे को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया था।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील ने हालांकि कोशिश की, लेकिन आयोग द्वारा पारित आदेश का बचाव नहीं कर सके। हालांकि, उन्होंने कहा कि यहां तक कि आयोग ने जीवन दास द्वारा दायर अपील के बजाय जोगिंदर सिंह की आसानी से निपटने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की है। जीवन दास द्वारा दायर अपील पर विचार करने के लिए मामले को वापस भेजने की आवश्यकता है।

(5) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(6) निर्विवाद तथ्य यह है कि जीवन दास बोर्ड के कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ते के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। सूचना उन्हें विधिवत प्रदान की गई थी, हालांकि,

अभी भी असंतुष्ट होकर उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जहां फिर से उन्हें जानकारी प्रदान की गई।

फिर भी असंतुष्ट, उन्होंने आयोग के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। जब 17.07.2012 को आयोग के समक्ष अपील की गई, तो जीवन दास स्वयं उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उनकी ओर से जोगिन्दर सिंह उपस्थित हुए। आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने आयोग के समक्ष अपना मामला इस तरह रखा जैसे कि उन्होंने अपील या याचिका को प्राथमिकता दी हो। आयोग ने जीवन दास के मामले को अलग रखते हुए, जो इसके समक्ष अपीलकर्ता थे, जोगिंदर सिंह के मामले के तथ्यों का उल्लेख किया और उन्हें राहत के लिए भिवानी में बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता को आवेदन करने की सलाह दी और इसे छह सप्ताह के भीतर जोगिंदर सिंह को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा पारित आदेश का पाठ नीचे दिया गया है:

"आज दिनांक 17.07.2012 को सुनवाई हुई। अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है, लेकिन श्री जोगिंदर सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। सार्वजनिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व श्री के. सी. खुल्लर, निदेशक (पी एंड सी), श्री वी. के. सुकिजा उप सीएओ और श्री एम. आर. कौशिक, लेखा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

2. श्री जोगिन्दर सिंह ने कहा कि वे 26.8.2009 से 29.02.2012 तक हरियाणा विभाग के सिंचाई विभाग से बीबीएमबी में प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन उन्हें इस अवधि के लिए मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया था, जबकि अन्य समान कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया गया था। श्री के. सी. खुल्लर प्रस्तुत करते हैं कि मकान किराया भत्ता का दावा करने के लिए, अपीलकर्ता को दावा आवेदन दायर करना आवश्यक है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसे नियमों के अनुसार संसाधित और अनुमोदित किया जाएगा।

3. परिसर में, श्री जोगिंदर सिंह को सलाह दी जाती है कि वे श्री एसए खान, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता, भिवानी के पास दावा आवेदन दायर करें, जिसके बाद श्री खान नियमों के अनुसार मामले पर कार्रवाई करेंगे, आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलकर्ता को देय राशि का भुगतान 06 सप्ताह में पूर्व को किया जाए।

(7) आयोग एक क़ानून का निर्माण है। इसे कानून के चार सदस्यों के भीतर काम करना है, जिसके तहत इसे बनाया गया है। इसके द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए परिभाषित कुछ कर्तव्य हैं, अर्थात्, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की जाती है और गैर-अनुपालन के मामले में, दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में, हालांकि अपील जीवन दास द्वारा पसंद की गई थी, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से भी व्यथित नहीं थे क्योंकि आवश्यक जानकारी उन्हें प्रदान की गई थी, लेकिन चूंकि यह एक तरह का प्रॉक्सी मुकदमा था, जोगिंदर सिंह उनकी ओर से पेश हुए, जिन्होंने कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर बोर्ड के साथ काम किया था। मकान किराया भत्ते के दावे को लेकर आयोग ने उसका पक्ष रखा। ऐसा करते समय, आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का सफर तय किया है। सबसे पहले, यह मुद्दा इसके समक्ष अपील में विवाद का विषय नहीं था और दूसरी बात, जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, वे संभवतः अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय किसी भी प्राधिकारी द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं, याचिकाकर्ता-बोर्ड यह तर्क देने में गलत नहीं है कि जीवन दास जोगिंदर सिंह के लिए एक प्रॉक्सी मुकदमा लड़ रहे थे, इस न्यायालय के निर्देश पर उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया और मकान किराया भत्ते के संबंध में राहत उन्हें अस्वीकार कर दी गई, लेकिन फिर भी इस तथ्य को

छिपाते हुए, उन्होंने आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, हालांकि आयोग के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(8) ऊपर वर्णित कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट रूप से, जीवन दास को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह मामले को आयोग को वापस भेजने के लिए निरर्थक अभ्यास होगा।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी